

13 <sup>12</sup>/<sub>2023</sub>

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारों उपस्थित।  
पैरिफार सरदार तहसीलदार रावतभाटा ने न्यायालय  
में उपस्थित हो पत्रावली में जवाब प्रस्तुत करने से  
इन्कार कर No-objection दिया। वकील उषी  
ने आज ही बरस का निवेदन दिया। उभय पक्ष द्वारा  
बरस की गई। उभय पक्ष की बरस को चुका गया।  
उभय पक्ष की बरस पर मंजूर किया। आप्त में  
अंकित तथ्यों व पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का  
अवलोकन कर गहनता से मंजूर किया। वकील  
उषी इस बरस के दौरान ही गई वहील है।  
हम संतुष्ट हैं उषी का आप्त धारा -128 का  
वकीलार मोग्य पाया जाता है। अतः उषी का आप्त  
धारा -128 का वकीलार मोग्य पाए जाते हैं।  
वकीलार किया जाकर आप्त का निर्णय सुपम  
से लिखा जाकर सुपे न्यायालय की वजहान  
में बुकाया गया। पत्रावली फेलल सुमार लेनर दर्ज  
रजिस्टर से उभ की जाकर शामिल हफतर ले

No objection  
cml  
13/12/23

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

